

Order Sheet [Contd]

Case No. ... 496 ... of 20 17 ...

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
07-11-17	<p>राज्य द्वारा ए डी पी ओ उपस्थित। अभियुक्तगण जेल से प्रस्तुत। उनकी ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण गुप्ता।</p> <p>प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।</p> <p>साक्षी/फरियादी जगदीश प्रसाद उप0। उसकी ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश शर्मा ने मेमो पेश किया।</p> <p>फरियादी की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320 द0प्र0स0 राजीनामा हेतु अनुमति बाबत मय राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320-2 फरियादी के हस्ताक्षर, छायाचित्र युक्त सहित प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री कमलेश शर्मा एवं अभियुक्तगण की पहचान उसके अधिवक्ता श्री प्रवीण गुप्ता द्वारा की गई।</p> <p>उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।</p> <p>फरियादी ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी मय, दवाब, लोम-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। फरियादी का राजीनामा कथन उसके निवेदन पर अंकित कराया गया।</p> <p>अभियुक्तगण पर भा0द0वि0 की धारा 420 विकल्प में 379 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। उक्त आरोप न्यायालय की अनुमति से फरियादी द्वारा शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।</p> <p>अतः राजीनामा बाद तत्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 420 विकल्प में 379 भा0द0वि0 के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा।</p> <p>प्रकरण में जप्त शुदा संपत्ति सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद निरस्त समझा जावे।</p> <p>अभियुक्तगण के जेल वारंट पर टीप अंकित की जावे कि अन्य प्रकरण में न चाहा गया हो तो अविलंब छोड़ा जावे।</p> <p>प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में प्रेषित हो।</p>	<p>Signature of Parties or Pleaders where necessary</p> <p>गोपाल कुमार (Gopal Kumar)</p> <p>श्री 11/11/17</p> <p>रसीद खो</p> <p>श्री 11/11/17</p> <p>रसीद खो</p> <p>Identified by me</p> <p>Pravina Gupta</p>

(A.K. Gupta)

Judicial Magistrate (M.P.)